185

सारण समाहरणालय (जिला योजना कार्यालय), सारण, छपरा।

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के विभागीय संकल्प संख्या 5255 दिनांक 23.06.2014, 3756 दिनांक 10/11/13 एवं पत्रांक 1780 दिनांक 3/05/2013 एवं योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 4973 दिनांक 25/11/13 के आलोक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका में विहित प्रावधान के तहत कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभि0 सगठन, कार्य प्रमण्डल -01, छपरा के पत्रांक 269 दिनांक 24. 01.2019, 2871 दिनांक 29.11.2018 के द्वारा प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के उपरांत उपलब्ध कराया गया है। कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन कार्य प्रमंडल- 01, छपरा द्वारा तकनीकी स्वीकृति की राशि पर निम्नलिखित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है:-

क्र0	प्रखंड का नाम	स्वीकृत योजनाओं का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में विमुक्ति राशि शून्य प्रतिशत	माननीय सदस्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	बनियापुर	ग्राम बेरुई में शिव मन्दिर के पास अवस्थित तालाब के चारो तरफ पैदल पथ का पी0सी0सी0 निर्माण कार्य।	616600	616600	शून्य	श्री जर्नादन सिह सीग्रीवाल
2	माँझी	ग्राम अरियाव में खाता सं0 143 सर्वे सं0 1181 पर घाट का निर्माण।	909300	909300	शून्य	
		कुल योगः-	1525900	1525900		

प्रशासनिक स्वीकृति की राशिः- 1525900.00(पंद्रह लाख पचीस हजार नौ सौ रुपये मात्र),

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :-

उक्त स्वीकृत योजनाओं का कार्य कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभि0 सगठन, कार्य प्रमण्डल -01, छपरा द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013, विभागीय संकल्प संख्या 5255 दिनांक 23.06.2014,के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा स्थानीय निविदा /विभागीय स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यान्वयन की शर्ते

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है।
2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण सहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओ के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।

Prakklan

7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबधित प्रशासी विभाग को हस्तांतरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्व कर लिया जाय।
11. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 309 /यो0 दिनांक 21-02-19 /

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता स्था0 क्षे0 अभि0 संगठन, कार्य प्रमंण्डल -01, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– नाजीर, जिला योजना कार्यालय, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर एन0 आई0 सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सूनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सूनिश्चित करे।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.19

जिला योजना पदाधिकारी
सारण,छपरा।

Prakklan